निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 24/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

श्योजीराम पुत्र किशनाराम जाति माली निवासी ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर।
2. नन्दलाल पुत्र स्व॰ श्री सूरजकरण
3. कजोड पुत्र स्व॰ श्री सूरज करण
4. प्रभाती पत्नी स्व॰ श्री सूरजकरण
5. हरी पुत्र स्व॰ श्री हनुमान
6. सायर पुत्र स्व॰ श्री हनुमान

   समस्त जाति माली, निवासी ग्राम नीमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर ।
7. संगीता देवी पत्नी जगदीश
8. रामस्वरूप पुत्री गोपी
9. गोपाल पुत्र कल्याण
10. रामलाल पुत्र कल्याण
11. राजेश पुत्र कल्याण
12. मनोज पुत्र कल्याण
13. केसरा पुत्र मांगू
14. मोहन पुत्र मांगू
15. छोटू पुत्र मांगू
16. रामदेव पुत्र मांगू
17. नोरत पुत्र मांगू
18. बजरंग पुत्र बालू

    समस्त जाति माली, निवासी ग्राम नीमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर ।
19. मंगली देवी पत्नी घासी
20. चूकी देवी पत्नी रामकुंवार

    समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चौरू तहसील फागी जिला जयपुर ।
21. तहसीलदार फागी जिला जयपुर ।
22. रामकन्या पुत्री स्व॰ श्री मोती लाल पत्नी घासी

    जाति माली, निवासी ग्राम नीमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर । हाल निवासी ग्राम सेवा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 292/2014(प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 262/2014) ब उनवानी श्योजीराम व अन्य बनाम नन्दलाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

जिला कलक्टर
जयपुर

उपस्थितः–

1. श्री रामअवतार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री हनुमान सहाय सिहाग अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 22 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 16.02.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष प्रकरण संख्या 292/2014 व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 262/2014 ब उनवानी श्योजीराम व अन्य बनाम नन्दलाल व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र संक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी फागी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 22 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान सहाय सिहाग ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तकासमा व अस्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें प्रार्थी बाहमी बंटवारा अनुसार व मौके पर काबिजानुसार तकासमा किये जाने की इस्तदुआ की गयी है। जिसमें प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली जबाब व तलबी में नियत है । अप्रार्थी संख्या 22 ने उक्त उनवानी प्रकरण में बिना किसी विधिक अधिकार के आये दिन प्रस्तुत प्रकरण में देरीना करने की वजह से पत्रावली में सिविल प्रकिया के प्रावधानों का फायदा उठाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करती रहती है। पूर्व में भी प्रार्थिया ने आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो खारिज हो गया । तत्पश्चात प्रार्थिया देरीना करने व प्रकण में न्याय निर्णय न हो सके इस वजह से पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। उक्त उनवानी प्रकरण में अप्रार्थीगण प्रार्थी के उक्त उनवानी वाद को येन केन प्रकारेण देरीना करने के उद्वेश्य से अधीनस्थ न्यायालय में आये दिन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तारीख पेशी बहस हेतु नियत करवाते है जबकि मूल वाद मात्र तकासमा का है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को आये दिन एलानिया धमकी देते रहते है कि आपके तकासमा के दावे का निस्तारण नहीं होने देंगे तथा अब हम मन माफिक फैसला करावा लेंगे। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की उक्त बातों को पहले तो ध्यान नही दिया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जब पिछले महिने की तारीखों से जिसमें हफ्ते भर से ज्यादा की तारीख नही दी गई। प्रार्थी का उक्त प्रकार से पूर्ण विश्वास हो गया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्त नही को सकता। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 23 बिना किसी विधिक अधिकार के ही उक्त प्रकरण में आये दिन दखलन्दाजी करती रहती है। जबकि अप्रार्थिया संख्या 22 द्वारा सक्षम न्यायालय में बिना किसी घोषणा का दावा किये तथा अधिकारों की घोषणा हुए बिना किसी भी प्रकार का कानूनी हक व अधिकार नहीं बनता है फिर भी अप्रार्थिया संख्या 22 ने उक्त प्रकरण में धारा 151 सीपीसी का

जिला कलक्टर
जयपुर

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थगन आदेश को हटाया जा कर मात्र नामान्तरकण की प्रकिया के आधार पर अपने खातेदारी अधिकार जता रही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र धारा 151 सी पी सी का जबाव प्रस्तुत कर विस्तारित रूप से समस्त तथ्य उल्लेख किये गये, किन्तु अप्रार्थिया संख्या 22 द्वारा धमकी दी गई है कि प्रश्नागत आराजीयात का मै कुछ दिनों में नामान्तरकण खुलवा कर पूर्व से किये गये इकरारनामा अनुसार विकय कर दूंगी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के डे बाई डे की सुनवाई से प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया कि अप्रार्थिया उक्त प्रकरण में वादग्रस्त आराजीयात को खुर्दबुर्द करने पर आमादा है। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या एक से न्याय प्राप्त होने की कतई उम्मीद नही है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण का येनकेन प्रकारेण निस्तारण में विलम्ब करना चाहता है इसी मन्शा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने के योग्य है, फिर भी यदि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो तारीख नियत करके प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. यद्यपि उपखण्ड अधिकारी फागी से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, जिसमें आरोपों का खण्डन किया गया है। चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी प्रकरण का अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने पर सहमत है। फागी मुख्यालय पर सहायक कलक्टर फागी का न्यायालय भी स्थापित है जिसमें इस प्रकरण को अन्तरित किया जा सकता है। इससे किसी पक्षकार को असुविधा भी नही होगी। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 292/2014 व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 262/2014 व उनवानी श्योजीराम व अन्य बनाम नन्दलाल को सहायक कलक्टर फागी में मुन्तकिल किया जाता है।

9. पक्षकारान न्यायालय सहायक कलक्टर फागी के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 09.03.2021 को उपस्थित हो। सहायक कलक्टर फागी प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर निस्तारण करें।

10. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी बनाम सहायक कलक्टर फागी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

16/2/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर